

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -606 व 607/2008/सीकर

मैसर्स रवि इण्डस्ट्रीज, नीम का थाना,  
सीकर।

.....अपीलार्थी।

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-तृतीय, नीम का थाना, सीकर।

.....प्रत्यर्थी।

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सतीश गुप्ता  
अधिवक्ता।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद,  
अधिवक्ता।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :27.02.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह दो अपीलें उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-तृतीय), जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् आदेश दिनांक 27.09.2007 व दिनांक 24.01.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, तथा जो क्रमशः अपील संरक्षा क्रमशः 65/आर.एस.टी./2005-06/सीकर/07-08 व अपील संरक्षा 66/सीएसटी/2005-06/सीकर/07-08 के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-तृतीय, नीम का थाना, सीकर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 सपष्टित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेशों दिनांक 25.01.2006 के जरिये तालिकानुसार कायम की गयी कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने को विवादित किया गया है। प्रस्तुत अपीलों में विवादित मांग राशियों का विवरण इस प्रकार है:-

:—तालिका—:

| क्र.सं | अपील संख्या   | निर्धारण वर्ष<br>व दिनांक | अधिनियम की<br>धारा जिसके<br>अन्तर्गत<br>निर्धारण आदेश<br>पारित किया<br>गया है | मांग राशि रूपये में  |          |
|--------|---------------|---------------------------|---|----------------------|----------|
|        |               |                           |   | कर व सरचार्ज         | ब्याज    |
| 1      | 606/2008/सीकर | 1999-00                   | धारा 30<br>रा.वि.क.अ., 1994   | 12,430/-<br>1870/-   | 14,800/- |
| 2      | 607/2008/सीकर | 1999-00                   | धारा 30<br>रा.वि.क.अ., 1994<br>सपष्टित केन्द्रीय<br>अधिनियम की<br>धारा 9      | 70,100/-<br>10,570/- | 10,570/- |

2. चूंकि उक्त दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु सादृश्य है। अतः दोनों अपीलों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी एक “ग्रेनाईट एवम् टाईल्स” इकाई है जिसे जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा कर मुक्ति का लाभ उद्योगों के लिये विक्य कर प्रोत्साहन योजना, 1987 (जिसे आगे “प्रोत्साहन योजना” कहा जायेगा) के तहत अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम के तहत कर से छूट का लाभ लेने का पात्र घोषित कर, इस संबंध में कर मुक्ति का प्रमाण पत्र जारी करने की अभिशंषा की गयी, जिसकी पालना में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर मुक्ति पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक 01/94 दिनांक 03.02.1993 को दिनांक 11.01.1993 से प्रभावी तिथि मानकर, जारी किया गया। तत्पश्चात, निर्धारण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड/दस्तावेजों की जांच कर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स देव श्रीसीमेन्ट में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, अवधारित किया गया कि पात्रता प्रमाण पत्र व्यवहारी/ईकाई द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से प्रभावी कर, जारी किया जाना चाहिये था। तदनुसार दिनांक 26.07.1993 को मुक्ति प्रमाण पत्र संशोधित कर, दिनांक 14.05.1992 के प्रभाव से जारी करने संबंधी आदेश पारित किया गया। अतः उक्त पात्रता प्रमाण को संशोधित किये जाने के कारण, प्रोत्साहन अवधि 7 वर्ष दिनांक 14.08.1999 कसे समाप्त हो गयी एवम् दिनांक 14.08.1999 से दिनांक 31.03.2000 के मध्य अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा किये गये विक्य क्रमशः रु.1,03,595/- व रु. 5,84,200/- पर प्रोत्साहन योजना की प्रभावी तिथि में नहीं होना मानकर, 12 प्रतिशत की दर से कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियाँ उपर्युक्तानुसार कायम कर, पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर दी गयी। जिनसे व्यक्ति होकर अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई की ओर से विद्वान् अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का कथन किया कि जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत लाभ की अभिशंषा के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये पात्रता प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा स्वीकृत लाभ को उससे संशोधित कराये बिना, निर्धारण अधिकारी

द्वारा अपनी मर्जी से स्वीकृत लाभ को आलोच्य अवधियों में अस्वीकृत करना एवम् जारी प्रमाण पत्र को संशोधित करना पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है। निर्धारण अधिकारी को इस तरह की अधिकारिकता नहीं है, जैसा कि माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि औद्योगिक इकाईयों को स्वीकृत लाभ को संशोधित करने की अधिकारिता केवल जिला / राज्य स्तरीय छानबीन समितियों को ही है। इस संबंध में अग्रिम कथन किया कि राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप औद्योगिक इकाईयों को दिये गये वचन (**Promises**) को भूतलक्षी प्रभाव से कम करना, माननीय न्यायालयों के निर्णयों के आलोक में अनुचित एवम् अविधिक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैं ० मोतीलाल पद्मापत शुगर मिल कं. लि. ए. आई.आर, 1979, 621 को उद्धरित किया है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय मैं ० लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज बनाम राजस्थान राज्य 99 एस.टी.सी 584, मैं ० अरिहन्त सोलवैक्स प्रा.लि. बनाम राजस्थान राज्य 3 वैट रिपोर्टर 165, वा.क.अ. बनाम मैं ० प्रकाश उद्योग मिल 20 टैक्स वल्ड 585 व राजस्थान कर बोर्ड के कतिपय निर्णयों के आलोक में विशेषतः अपील संख्या 1063 से 1066/04/पाली सहायक आयुक्त विशेष वृत्त, पाली बनाम विनोद सीमेन्ट वर्क्स, प्रा.लि., अपील संख्या 287/05/भीलवाड़ा मैं ० मोड टैक्सराईजर्स, भीलवाड़ा बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त—भीलवाड़ा के प्रकरणों को उद्धरित कर, अभिवाक् किया कि इस संबंध में जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा स्वीकृत लाभ को कम कर, मांग रशियां कारण करना पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है। अतः इस बिन्दु पर आरोपित कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग रशियां अविधिक है। अतः दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप—राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर कथन किया कि जारी प्रमाण पत्र को संशोधित करना पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। कथन किया कि पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रभावी तिथि गलत अंकित हो गयी थी जिरो परिशोधित किया जा सकता है जो अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधनीय है। अतः पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना गयी।

7. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया व उद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का सम्मान अध्यरण किया गया। इस संबंध में हमारे समक्ष केवल प्रश्न, जो निर्णय हेतु है, वह यह है कि क्या निर्धारण अधिकारी जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा की



गयी अभिशंषा के अनुसार जारी पात्रता प्रमाण पत्र, जो “प्रोत्साहन योजना, 1987” के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है, में संशोधन जिला स्तरीय छानबीन समिति से करवाये बिना, स्वयमेव अपने स्तर पर, स्वीकृत लाभ, अवधि जो पात्रता प्रमाण में अंकित है, को संशोधित कर सकता है ? तथा तदनुसार कर, सरचार्ज व ब्याज की मांग राशियां कायम कर सकता है ? इस संबंध में प्रोत्साहन योजना में निम्न प्रावधान हैः—

**7A. Review and Reconsideration.**-(iii) The appropriate Screening Committee may, after making or causing to be made such enquiry as it considers necessary and after giving reasonable opportunity of being heard to be the Industrial Unit, the assessing authority and Commissioner or any officer authorized by him in this behalf, pass such orders thereon as the circumstances of the case justify, including an order confirming, amending, suspending or cancelling the order or reopening the case and directing for fresh decision of the case.

इसी प्रकार प्रोत्साहन योजना के कलॉज 7B का अध्ययन व अवलोकन भी महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार हैः—

**7B.-Revision by the State Government.**-The State Government may suo motu revise the orders as to benefit of the Scheme, whenever it is erroneous and is prejudicial to the interest of the State Revenue, after giving a reasonable opportunity of being heard to the beneficiary.

“माननीय न्यायालयों के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत 99 एस.टी.सी 584 (राजस्थान उच्च न्यायालय) मै 0 लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज बनाम् राजस्थान राज्य व 3 वैट रिपोर्टर 165 (राजस्थान उच्च न्यायालय) मै 0 अरिहन्त सोलवैक्स प्रा.लि. बनाम् राजस्थान राज्य तथा 20 टैक्स वल्ड 585 वा.क.अ. बनाम् प्रकाश उद्योग ऑयल मिल (आर.टी.टी) उद्धरित कर बोर्ड के कतिपय निर्णयों में माननीय न्यायालयों द्वारा निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया गया हैः—

“.....Under the Rajasthan Sales Tax Incentive Scheme, 1987, the jurisdiction to determine whether an industrial unit is eligible for sales tax exemption or not has been conferred on the Screening Committee of the State Level or the District Level depending upon the fact that whether the unit claiming exemption is large scale unit or medium and small unit. In the present case, the sanction for grant of eligibility certificate was made by District Level Screening Committee. The AA has no jurisdiction to sit upon the jurisdiction of Screening Committee about the eligibility of a unit to the exemption under the Scheme.”

माननीय न्यायालयों द्वार उपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जिला स्तरीय छानबीन समिति की अभिशंषा के अनुसार निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, को जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रोत्साहन योजना के क्लॉज 7A/7B के तहत संशोधित करने के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां जो कायम की गयी हैं, वह क्षेत्राधिकार विहीन है। निर्धारण अधिकारी व्यवहारी ईकाई को जारी पात्रता प्रमाण पत्र सक्षम छानबीन समिति से बिना संशोधित कराये, कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां कायम नहीं कर सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि निर्धारण अधिकारी को स्वीकृत लाभ यथा समयावधि के संबंध में कोई उज्ज्व था, तो उसे चाहिये था कि वह सक्षम छानबीन समिति के समक्ष स्वीकृत लाभ अवधि को संशोधित कराने का आवेदन करते। परन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही अभिलेख से करना प्रकट नहीं हो रहा है। इस संबंध में कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 408 / 2010 / अलवर स.वा.क.आ., बहरोड, अलवर बनाम मैसर्स भगवती सीमेंट प्रा.लि., बहरोड, अलवर निर्णय दिनांक 03.01.2013 द्वारा भी जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों, क्लॉज 9(सी) के तहत संशोधित करने के अभाव में, निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, सरचार्ज व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को विधिसम्मत नहीं होना अवधारित किया गया है। अतः ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी/ईकाई द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

8. परिणामतः प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।
9. निर्णय प्रसारित किया गया।

  
(मदन 27.2.11)  
सदस्य